



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज-211002

पत्रांक:शि०से०आयोग/ 728 /अधियाचन/2026-27 दिनांक : 30.04.2026

विज्ञप्ति/आवश्यक सूचना

उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका संख्या-4196/2026 शुभम कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 24.04.2026 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

12. In view of aforesaid facts and situations, the very purpose of the orders passed by the Hon'ble Supreme Court in these matters would frustrate, if the petitioners as well as those persons, who are having 18 months diploma in in D.El.Ed.-ODL, are not allowed to participate in T.E.T. examination.

13. In such circumstances, respondent no. 2 is directed to allow the petitioners and other similarly situated candidates to appear in the UP-TET examination, 2026 provisionally, subject to their fulfilling the criteria that they were employed on or before 10.08.2017 and are having 18 months diploma in D.El.Ed.-ODL. However, their consideration shall be abide by the final outcome of this petition.

मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश से आच्छादित अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट <https://upessc.up.gov.in> पर जाकर निर्धारित अन्तिम तिथि 03.05.2026 तक विज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 हेतु आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी सूचित किया जाता है कि उनका अभ्यर्थन पूर्णतया औपबन्धिक एवं प्रश्नगत याचिका में पारित होने वाले मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

उपसचिव